

145

R. 3224-13/13

252

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल मध्य प्रदेश अवालिपर - म.प्र.



1. मु० रामरती वर्मा विधवा पत्नी स्व० श्री बंशधारी प्रसाद वर्मा निवासी ग्राम सेमरिया तहसील सेमरिया जिला रीवा म.प्र.
2. श्रीमती संतोष कुमारी पत्नी श्री विजय कुमार कुशवाहा पुत्री स्व० श्री बंशधारी प्रसाद वर्मा नि० ग्राम गोंबिदगढ़ तहसील हुजूर जिला रीवा म.प्र.
3. श्रीमती आशा कुशवाहा पत्नी स्व० श्री कैलाश कुशवाहा पुत्री स्व० श्री बंशधारी निवासी ग्राम पिपरा हाल मुकाम सेमरिया जिला रीवा म.प्र.
4. श्रीमती सुनीता कुशवाहा पत्नी श्री रामनिवास पुत्री स्व० श्री बंशधारी वर्मा निवासी ग्राम सेमरी तह. सेमरिया जिला रीवा म.प्र.
5. श्रीमती अनीता कुशवाहा पत्नी श्री बीरेन्द्र कुशवाहा पुत्री स्व० श्री बंशधारी प्रसाद वर्मा नि० ग्राम छोटी पगार जिला सतना, हाल मुकाम सेमरिया जिला रीवा म.प्र.

224-13/13

..... निगरानीकर्ता

अवालिपर मध्य प्रदेश

मिशन टाटा इन्सुरेंस
रीवा, दिनांक 3.08.2013

वनाम

1. नंदकिशोर तनय श्री भूरा कुशवाहा निवासी सेमरिया तह. सेमरिया जिला रीवा म.प्र.
2. रामसरोज कुशवाहा तनय श्री महावीर कुशवाहा नि० सेमरिया तह. सेमरिया जिला रीवा म.प्र.

..... गैरनिगरानीकतागण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान अपर जिलाध्यक्ष महोदय रीवा दि० 12.04.13 बावत प्रकरण क्रमांक 130अ/5/2010-11

अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ई०।

23-8-13

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1. यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया एवं साक्ष के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
2. यहकि अधी० न्याया० द्वारा मात्र राजस्व निरीक्षक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन व पंचनामा को आधार मानकर आदेश पारित किया गया है जबकि तथाकथित पंचनामा व सूचना पत्र में आवेदकगण को व उनके पिता स्व० श्री बंशधारी प्रसाद को कोई सूचना नहीं दी गई और न उनके हस्ताक्षर ही है जबकि

M

Benidag



AT

(145)
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

जिला-रीवा

प्रक्रमांक R-3224-III / 13

श्रीमती रामवती वर्मा वगैरः / नन्दकिशोर कुशवाहा

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 13/अ-5/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 12.04.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2. यह प्रकरण दिनांक 05.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे।</p> <p style="text-align: center;"> (बी.एम.शर्मा), सदस्य</p>	<p style="text-align: right;"></p>

III/निम0/रीवा/भू-रा0/2018/0526